यालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

ग सं0 : 115/2023

ान :

विकास कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. नरेश कुमारी — पिसरान छोटूराम पुत्र सोहनलाल
3. मोनिका कुमारी — जाति जाट निवासी सुरतपुरा
4. रीतु कुमारी — तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:–असल प्रतिवादीगण

6. ईश्वर पुत्र मामचंद जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
7. चान्दकोरी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
8. तारावती पत्नी ओमप्रकाश उर्फ प्रकाशवीर जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
9. बिमलादेवी पत्नी जसवंत जाति नाई निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
10. भूपसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
11. भूराराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
12. मनजीत कुमार पुत्र ओमप्रकाश उर्फ प्रकाशवीर जाति जाट निवासी सुरतपुरा।
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
14. राजेश कुमार पुत्र चन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
15. रामप्यारी पत्नी पालीराम जाति अहीर(यादव) निवासी भिरानी त0 भादरा।
16. रामसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
17. रोहताश कुमार पुत्र मामचंद जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
18. विनोद कुमार पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
19. विपिन कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
20. विमला पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
21. शिशपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
22. शीलादेवी पत्नी रोहताश कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
23. सन्दीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
24. सुनीता देवी पत्नी सज्जन कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
25. सुभाष चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
26. सुरेन्द्र पुत्र पालाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
27. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला त0 भादरा।
28. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बडौदा शाखा भादरा।
29. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैक लिमिटेड शाखा भादरा

तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

Scanned with CamScanner

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : वादी

वकील श्री विजेन्द्र सिंह बैनीवाल: प्रतिवादी 1 ता 4

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 38/38 के मु0नं0 90 व 91 की कुल किता 10 की 2.5300है0 प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम दर्ज है तथा खाता सं0 99/33 के मु0नं0 71, 90, 91, 97, 98 की कुल किता 32 की 7.9940है0 कषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम का 2066/19985 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 ने जबाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 6 ता 29 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में विकास कुमार पुत्र श्री छोटूराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम सुरतपुरा संवत 2075–78 खाता संख्या 99/33 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा खाता सं0 38/38 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंधन विभाग रोही मौजा सुरतपुरा बारानी सम्वत 2029–39 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा सम्वत 2051 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 5, आधार कार्ड विकास कुमार चित्रप्रति प्रदर्श 6(1) प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम सूरतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में छोटुराम के एक पुत्र विकास कुमार व तथा तीन पुत्री नरेश कुमारी, मोनिका कुमारी, रीतु कुमारी के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 38/38 के मु0नं0 90 व 91 की कुल किता 10 की 2.5300है0 प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम दर्ज है तथा खाता सं0 99/33 के मु0नं0 71, 90, 91, 97, 98 की कुल किता 32 की 7.9940है0 कषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम का 2066/19985 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम अकेले की बजाये वादी विकास कुमार व प्रतिवादी सं0 1 छोटुराम को बहिस्सा बराबर

के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 38/38 के मु0नं0 90 व 91 की कुल किता 10 की 2.5300है0 प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम दर्ज है तथा खाता सं0 99/33 के मु0नं0 71, 90, 91, 97, 98 की कुल किता 32 की 7.9940है0 कषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम का 2066/19985 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 छोटुराम अकेले की बजाये वादी विकास कुमार व प्रतिवादी सं0 1 छोटुराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक[illegible] चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner